

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/788/2013- राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्नु राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची परिक्षेत्राधीन बुचाओपा जलाशय योजना के दायें आउटलेट गेट की मरम्मत कार्य हेतु रु० 2.1634 लाख (रुपये दो लाख सोलह हजार तीन सौ चालिस) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची परिक्षेत्राधीन बुचाओपा जलाशय योजना के दायें आउटलेट गेट की मरम्मत कार्य हेतु रु० 2.1634 लाख (रुपये दो लाख सोलह हजार तीन सौ चालिस) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. प्रस्तावित कार्य वर्ष 2014-15 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
4. इस कार्य पर होने वाले व्यय
 - (i) मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष -46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं
 - (ii) मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष -46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन के अंतर्गत भारित होगा।
- 5- प्रस्तावित कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, राँची होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
7. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2014-15 के बजट में उपबंध है।
8. प्रस्ताव पर माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/788/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड राँची एवं योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/788/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/788/2013- राँची, दिनांक 09.07.2014

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनटरिंग एवं आयोजन, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटरिंग अंचल-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

21/07/14